उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-1/1772/एक-1-2016-5(67)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 03 जनवरी, 2017

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-2265/डी0एल0आर0सी0-16, दिनांक 21.12.2016 द्वारा नवसृजित तहसील बल्दीराय के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु ग्राम हैंधनाकला, परगना इसौली, तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर स्थित भूमि जो राजस्व अभिलेखों में चारागाह के नाम दर्ज गाटा संख्या 171 रकबा 1.896 हे0 भूमि को ग्राम हैंधनाकला, परगना इसौली, तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर स्थित गाटा संख्या 419 रकबा 0.076 हे0 गाटा संख्या 861 रकबा 0.089 हे0, गाटा संख्या 901 रकबा 0.051 हे0, गाटा संख्या 1194 रकबा 0.051 हे0, गाटा संख्या 1200 रकबा 0.278 हे0, गाटा संख्या 1501 क रकबा 0.114 हे0, गाटा संख्या 1728 रकबा 0.152 हे0, गाटा संख्या 1919 रकबा 0.202 हे0, गाटा संख्या 2110 रकबा 0.051 हे0, गाटा संख्या 2162 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 2410 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 1004/2464 मि0 रकबा 0.164 हे0, गाटा संख्या 2 रकबा 0.076 हे0, गाटा संख्या 46 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 417ख रकबा 0.329 हे0 अर्थात कुल 15 गाटा रकबा 1.934 हे0 बंजर खाते की भूमि को चारागाह खाते के रूप में श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के प्रस्ताव/संस्तुति के आलोक में सार्वजनिक उपयोग चारागाह खाते की भूमि को बंजर भूमि से विनिमय के व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम हैंधनाकला, परगना इसौली, तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर स्थित चारागाह खाते की भूमि गाटा संख्या 171 रकबा 1.896 हे0 श्रेणी 5(3) ग, का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहण किये जाने एवं धारा 101 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन विनिमय किये जाने की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) नवसृजित तहसील बल्दीराय के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण के व्यापक जनहित के आलोक में चारागाह खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है।

(2) चारागाह भूमि का श्रेणी परिवर्तन एवं पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है।

(3) गाटा संख्या 171 रकबा 1.896 हे0 श्रेणी 5(3) ग चारागाह खाते की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर पुनर्ग्रहण किये जाने तथा उपयोगिता के आधार पर बंजर खाते की भूमि ग्राम हैंधनाकला, परगना इसौली, तहसील बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर स्थित गाटा संख्या

shasnadesh.up.nic.in

-2-

419 रकबा 0.076 हे0, गाटा संख्या 861 रकबा 0.089 हे0, गाटा संख्या 901 रकबा 0.051 हे0, गाटा संख्या 1194 रकबा 0.051 हे0, गाटा संख्या 1200 रकबा 0.278 हे0, गाटा संख्या 1501 क रकबा 0.114 हे0, गाटा संख्या 1728 रकबा 0.152 हे0, गाटा संख्या 1919 रकबा 0.202 हे0, गाटा संख्या 2110 रकबा 0.051 हे0, गाटा संख्या 2162 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 2410 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 1004/2464 मि0 रकबा 0.164 हे0, गाटा संख्या 2 रकबा 0.076 हे0, गाटा संख्या 46 रकबा 0.101 हे0, गाटा संख्या 417ख रकबा 0.329 हे0 अर्थात कुल 15 गाटा रकबा 1.934 हे0 का विनिमय कर चारागाह दर्ज किया जायेगा।

(4) लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. कलेक्टर, सुल्तानपुर द्वारा इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पटट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायेंगे तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, सुल्तानपुर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1772(1)/एक-1-2016-5(67)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद ।
3. कलेक्टर, सुल्तानपुर ।
4. राजस्व अनुभाग-5
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nicin